



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 808) पटना, शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2020

सं० 2/आरोप-01-19/2015-17742/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2019

श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, रोहतास, सासाराम (सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद सदर) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक 818 दिनांक 11.04.2015 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्राप्त आरोप-पत्र में श्री सिंह के विरुद्ध मुख्य रूप से अपने पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में राज्य खाद्य निगम के करगहर क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति के दौरान घोर लापरवाही के कारण धान का गबन होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप-पत्र में वर्णित है।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 9678 दिनांक 13.07.2016 एवं स्मार पत्र द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परंतु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. तत्पश्चात् श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि श्री अविनाश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1055/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, रोहतास, सासाराम (सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद सदर) के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 808-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>